



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ~~कल्याण~~ सागर म.प्र.

R - 3978-1113

निर्मल कुमार पुष्पहार तनय श्री तिमोदी मोरिस आयु-55वर्ष  
निवासी :- किश्चियन कॉलोनी मधुकरशाह वार्ड  
तह.व जिला सागर म.प्र.

—अपीलार्थी

// विरुद्ध //

मध्यप्रदेश शासन

—प्रतिअपीलार्थी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न पुनरीक्षण सविनय प्रस्तुत हैं :-

न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सागर जिला सागर म.प्र. द्वारा प्रकरण  
कमांक-34 अ/21 वर्ष 2012-2013 में पारित आदेश दिनांक-10/07/2013  
के विरुद्ध निम्नलिखित पुनरीक्षण प्रस्तुत हैं।

// प्रकरण के तथ्य //

1- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सागर के यहां आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-165 (7ख) म.प्र.भू-राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदक के पिता स्व. श्री तिमोदी मोरिस (डेविस) को म.प्र. शासन द्वारा ग्राम गुरैया तहसील व जिला सागर में प.ह.नं.-पुराना-39 नया-122 राजस्व निरीक्षण मंडल सुरखी तहसील व जिला सागर के खसरा नं.-217 रकवा 1.43 हे. भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था जिस पर पुनरीक्षणकर्ता काबिज हैं एवं पुनरीक्षणकर्ता के पिता के मृत्यु के उपरांत पुनरीक्षणकर्ता का नाम शासकीय रिकार्ड में दर्ज होकर श्रीमान् तहसीलदार महोदय सागर के द्वारा मा.क.-16 अ/19/81-82 के अनुसार 15/02/1982 को भूमि स्वामी हक्क प्रदान किया गया था।

2- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता स्वीडिश मिशन उच्च मा.विद्यालय सिविल लाईन सागर म.प्र. में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं जिसे कुल मासिक बेतन 2463 रु. प्राप्त होता हैं एवं पुनरीक्षणकर्ता के पास उक्त नौकरी के अलावा आमदनी का कोई जरिया नहीं हैं एवं पुनरीक्षणकर्ता की उक्त भूमि काफी दूर होने से एवं पुनरीक्षणकर्ता के अलावा अन्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति न होने से उक्त भूमि पर लाभदायक कृषि कार्य करने में असमर्थ होने के कारण कृषि से अधिक आय नहीं हो पाती हैं। पुनरीक्षणकर्ता को मात्र अपने बेतन से ही अपनी बीमार पत्नी एवं लड़के का भरण पोषण करना पड़ता

B.O.R.  
OCT 2013

का.प्र.स.प. सागर (म.प्र.)

74  
3-10-13  
1-  
यदि मा.क. 28/10/13  
हो तो मा.क. 28/10/13  
पर मा.क. 28/10/13  
पर मा.क. 28/10/13

31-10-13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-3978-तीन/2013

जिला-सागर

निर्मल कुमार पुष्पहार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों के  
हस्ताक्षर

22 08-2019

प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला-सागर के प्र. क्र. 34/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 10-07-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2/ पक्षकार दिनांक 09-10-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

(जे०के० जैन)  
सदस्य